



भारत के विकास की चुनौतियां

Neha Anmol Jawale, Jaipur National University, Phd Journalism And Mass Communication

संक्षेप

जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा वो भारत देश हैं मेरा... वो भारत देश हैं मेरा... हम इन पंक्तियों को सुनकर भारत में बड़े हुए हैं। हम देख सकते हैं कि भारत के स्वतंत्रता-पूर्व युग और आज के समय में काफी अंतर है। भारत एक विकासशील राष्ट्र होने के नाते, भारत ने विकास की दिशा में कदम उठाए हैं। यह विकास क्यों हुआ इसका जवाब भी हम जानते हैं। आज भारत अर्थव्यवस्था, कृषि, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पर्यावरण, कला के क्षेत्र में शीर्ष पर दिखाई देता है, लेकिन आज भी भारत विकास के मामले में कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है। जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास इतना खाना भी नहीं था कि हम देशवासियों का पेट भर सकें। तो बाद में हरित क्रांति के जनक डॉ. स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति का निर्माण हुआ। परिणामस्वरूप, उत्पादन में वृद्धि हुई और भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। उसके बाद धीरे-धीरे भारत में श्वेत क्रांति, नीली क्रांति हुई जिसके कारण भारत दुनिया के सामने एक विकासशील राष्ट्र के रूप में जाना जाने लगा लेकिन फिर भी भारत के सामने कई ऐसी समस्याएँ हैं जो विकास में बाधा डालने का काम कर रही हैं। आज हम उन्हीं समस्याओं के बारे में बात करने जा रहे हैं।

भारत के सामने चुनौतियां

आय में वृद्धि के कारण नागरिक अब बुनियादी सुविधाओं के स्तर में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वच्छता, सड़कें, जन स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा अब गांवों में उपलब्ध है। हालांकि, छात्रों को इससे अपेक्षित ज्ञान नहीं मिलता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि भारत की जन्म दर में दो प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन शादी के बाद लड़कियों की मृत्यु दर में थोड़ी वृद्धि हुई है। हालांकि बाल मृत्यु दर में वृद्धि हुई है, लेकिन कुपोषण के कारण होने वाली मौतें नहीं रुकी हैं। बुनियादी ढांचे के मामले में बिजली, सड़क, परिवहन और बंदरगाहों की भारी जरूरत है।

आर्थिक असमानता

विकास के पथ पर चलते हुए देश में अनेक विषमताएँ हैं। 1990 के दशक के बाद, देश ने आय में तेजी से वृद्धि का अनुभव किया। लेकिन अमीर और गरीब, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, विकसित और अविकसित क्षेत्रों, कुशल श्रमिकों और अकुशल श्रमिकों के बीच की खाई चौड़ी हो गई है। इससे एक नई विषमता का जन्म हुआ है। इससे अनेक सामाजिक समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं। भारत में कृषि विकास की दर बहुत कम है। भारत का दो-तिहाई हिस्सा अभी भी कृषि पर निर्भर है। लेकिन कृषि से उत्पादन और आय बहुत कम है। यह आर्थिक रूप से अवहनीय है। कई जगहों पर पारंपरिक रूप से खेती की जाती है। कृषि के लिए पानी की आपूर्ति की योजनाएँ भी पुरानी हैं। कृषि उपज को बाजार तक ले जाने के लिए कोई उचित परिवहन व्यवस्था नहीं है। बाजार जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। किसानों के बाजार भी नियमों और एकाधिकार के शिकंजे में फंस गए हैं। इससे किसानों को लाभ नहीं होता है। सेवा क्षेत्र में जहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ रही है। यहां तक कि अकुशल श्रमिक भी इस समस्या का बड़े पैमाने पर सामना कर रहे हैं।



शिक्षा क्षेत्र को अल्प धन

निजी और सार्वजनिक दोनों संस्थाएँ भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र में काम कर रही हैं। कई छात्र सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में अध्ययन करते हैं क्योंकि शिक्षा सस्ती है। हालाँकि, यह इन विश्वविद्यालयों में कम सीटों और अधिक उम्मीदवारों के प्रवेश के इच्छुक होने के कारण एक व्यस्त अनुपात बनाता है। हालाँकि सरकारें बढ़ती छात्र आबादी को समायोजित करने के लिए तेजी से नए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर रही हैं, मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर बना हुआ है। इस असमानता का प्राथमिक कारण शिक्षा क्षेत्र को उपलब्ध कराया गया अल्प धन है। भारत अनुसंधान और विकास पर अपनी सकल राष्ट्रीय आय (जीडीपी) का केवल 0.65 प्रतिशत खर्च करता है। कई बार यह लागत मांग से काफी कम भी होती है। यह सरकार की उदासीनता को रेखांकित करता है। चीन विपरीत है। चीन में अनुसंधान और विकास पर अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है। चीन इस क्षेत्र में भारत से तीन गुना अधिक खर्च करता है। भारत अपनी सार्वजनिक सब्सिडी प्रणाली की जांच करने जा रहा है। इस पद्धति के अनुसार, विभिन्न मंत्रालय स्वतंत्र रूप से शोध अनुदान प्रदान करते हैं। हालाँकि, इन सभी विधियों को राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद (NRF) के तहत एकीकृत किया जाएगा। यह एक सार्वजनिक अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण को मजबूत करेगा।

भारत के सामने नई तकनीक की चुनौती

भारत में महत्वाकांक्षी लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है। ग्लोबल क्रिएटिविटी इंडेक्स में भारत 48वें स्थान पर है। भारत को अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए अपनी असीमित आंतरिक शक्ति का पूरा उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि भारत को एक अनुसंधान महाशक्ति के रूप में उभरना है, तो यह तदर्थ अनुसंधान पहलों और मामूली बजटीय प्रावधानों पर भरोसा नहीं कर सकता है। उसके लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पर्याप्त निवेश होना जरूरी है। इससे शिक्षा के साथ-साथ सभी स्तरों पर अनुसंधान और विकास क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने में मदद मिलेगी। उभरता हुआ प्रौद्योगिकी क्षेत्र हमेशा भारत के लिए एक चुनौती और अवसर रहा है। हालाँकि, सुधारों के माध्यम से चुनौतियों को दूर किया जा सकता है और भारत वैज्ञानिकों को अनुसंधान और कंपनियों को उत्पादन के लिए अधिक स्थान देकर इस अवसर का लाभ उठा सकता है। भारत के पास उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ बड़ी छलांग लगाने का अवसर है। भारत इससे उन्नत तकनीक का उत्पादन कर सकता है। भारत ने मोबाइल के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। इसी के माध्यम से भारत वित्तीय प्रौद्योगिकी प्रणाली में अग्रणी बन गया है। नहीं तो पहले भारत में बैंकों की संख्या भी सीमित थी। यह तस्वीर कुछ साल पहले की ही है। इससे साफ है कि भारत उभरते हुए टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़ी छलांग लगा सकता है।

भारत में धार्मिक चुनौती

आजकल यह कहना फैशन हो गया है कि 'धर्मनिरपेक्षता पुरानी हो चुकी है या गलत अवधारणा है, यह बेकार हो गई है'। कई उदारवादी पत्रकार भी इसमें शामिल हुए हैं। यहां तक कि कुछ उदारवादी तथाकथित बुद्धिजीवी भी झुंड में शामिल हो गए हैं। मेरी राय में, अब हमें इस पर स्पष्ट रुख अपनाने की जरूरत है। भारत में धर्मनिरपेक्षता कई चीजों के कारण है: हमारा इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, संविधान आदि। वगैरह। लेकिन, जब भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर राजनीतिक या बौद्धिक स्तर पर चर्चा की जाती है, तो यह मुद्दा धुंधला या उलझा हुआ लगता है।

इस चर्चा में धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव या सर्वधर्म संभव के रूप में परिभाषित किया गया है। यहां तक कि स्वयंभू राजनेता-दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी धर्मनिरपेक्षता पर



टिप्पणी करते हुए संकेत दिया कि 'भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता एकमेव नहीं हैं मगर अद्वितीय जरूर है'। धर्मनिरपेक्षता को कभी-कभी धार्मिक सहिष्णुता या कैथोलिक प्रकार के दयालु दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में अपने प्रसिद्ध भाषण में भारतीय धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख करते हुए कहा, "हम सार्वभौमिक सहिष्णुता को स्वीकार करते हैं और सभी धर्म सत्य हैं"।

धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा को सक्रिय करने के लिए दो मजबूत सिद्धांतों की आवश्यकता है। एक- समाज में विभिन्न धर्मों और पंथों से संबंधित सभी पुरुष और महिलाएं निस्संदेह संविधान, कानून और राज्य के समक्ष समान हैं। हमें धर्म, जाति, नस्ल, जातीयता, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, यह हमारे संविधान के विभिन्न प्रावधानों में व्यक्त किया गया है। कुछ धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए गए विशेष अधिकार भी समानता और न्याय के इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन और समानता के नियम के कुछ अपवाद अंततः सामाजिक-शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों सहित अनुसूचित जातियों और जनजातियों की रक्षा करने और ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों को समान अवसर प्रदान करके मुख्यधारा में समायोजित करने के लिए हैं।

भारत के सामने स्वास्थ्य सेवा चुनौतियाँ

भारत की स्वतंत्रता के बाद, सरकार ने भोर समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। इन सिफारिशों के अनुसार, पूरे भारत में उप-केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, तालुका अस्पतालों और जिला अस्पतालों की एक बड़ी शृंखला स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए राष्ट्रीय आय का 9% स्वास्थ्य पर खर्च करने की योजना बनाई गई थी। समिति ने सिफारिश की कि सभी स्वास्थ्य सेवा सार्वजनिक होनी चाहिए न कि निजी व्यवसाय। चिकित्सा सेवाओं के साथ, समिति से स्वास्थ्य शिक्षा और निवारक सेवाओं का प्रबंधन करने की अपेक्षा की गई थी। ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य समितियों की योजना बनाई गई है।

1947 से आज तक के 60 वर्षों में भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है। फिर भी हम समान स्तर पर अन्य देशों से बहुत पीछे हैं। हम चीन, श्रीलंका, थाईलैंड आदि देशों से पीछे हैं। और तो और कुछ मामलों में हम बांग्लादेश जैसे देशों से भी पीछे हैं। यह सच है कि विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करके हमने कुछ बीमारियों को काफी हद तक कम किया है। अभी भी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने इस संबंध में कई बदलावों का सुझाव दिया। इनमें से कुछ कार्यक्रम 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से शुरू किए गए हैं। हालांकि, मूल मुद्दों को ज्यादा छुआ नहीं गया है।

अंतरराज्यीय सुरक्षा चुनौतियाँ

एशिया भर के राज्य अपनी सुरक्षा के लिए बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर शक्ति संतुलन में क्रमिक बदलाव ने प्रमुख राज्यों के बीच सुरक्षा प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी है। जैसा कि भारत की आर्थिक और सैन्य प्रोफाइल व्यापक इंडो-पैसिफिक में बढ़ती है, इसे भी कई प्रकार की आंतरिक और अंतरराज्यीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसे इसे प्रबंधित करना होता है। इस संदर्भ में, यह भारत के सैन्य आधुनिकीकरण की प्रकृति और दायरे पर विचार करने योग्य है, क्योंकि यह संघर्षों के प्रकारों को ध्यान में रखता है। भारतीय रक्षा बलों का आधुनिकीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें जनशक्ति और मारक क्षमता के साथ-साथ स्वदेशी स्रोतों से हथियारों के अधिग्रहण और हथियारों के आयात के बीच संतुलन से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया है। सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में अपनी सेना में सुधार और पुनर्गठन के भारत के प्रयासों को हथियारों के अधिग्रहण में पारदर्शिता और



अखंडता से समझौता किए बिना तीनों सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने की खोज की विशेषता है।

चूँकि भारत एक विकासशील देश है, उपरोक्त सभी समस्याएँ भारत के विकास में बाधक हैं, इसलिए भारत को आज विकसित देशों की सूची में शामिल होने में समय लग रहा है। भारत ने अपनी क्षमताओं का समुचित उपयोग कर एक कदम आगे बढ़ाया तो निश्चित रूप से भारत को विश्व में एक विकसित राष्ट्र के रूप में पहचाने जाने में देर नहीं लगेगी।

